राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,जयपुर

क्रमांकःमुख्या/प्रशा/वि.के./2007/519 दिनांकः 23.5.2007

परिपत्र

निगम मण्डल की 227वीं सभा में प्रस्तुत प्रस्ताव के निर्णय संख्या 21/2007 दिनांक 18.5.2007 की अनुपालना में निगम बस स्टैण्ड परिसर में दुकान/स्टाल/ बूथ को लाईसेंस परआवंटन करने के सम्बन्ध में विज्ञापन शाखा, मुख्यालय,जयपुर द्वारा समय–समय पर पूर्व में जारी समस्त नीति /परिपत्र/आदेशों को अधिलंघन कर बस स्टैण्डों पर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं स्टाल आवंटन हेतु दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं ।

वर्तमान में जो दुकान/स्टाल/बूथ संचालित है, उनकी लाईसेंस अवधि समाप्त होने पर उनका नवीनीकरण नहीं किया जावे । आगारीय समिति द्वारा भविष्य में संलग्न दिशा–निर्देशानुसार प्रक्रिया अपनाकर ही दुकान/स्टाल/बूथ के आवंटन की कार्यवाही की जावे ।

यह दिशा–निर्देश तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होंगे ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार पृष्ठ 4से 20

ह0/–
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांकःमुख्या/प्रशा/वि.के./2007/519 दिनांकः 23.5.2007
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक,रापनि,मुख्यालय,जयपुर ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष( ),रापनि,मुख्यालय,जयपुर ।
3. समस्त महा प्रबन्धक (संचालन),...............जोन,रापनि,मुख्या.,जयपुर ।
4. संयुक्त महा प्रबन्धक (वित्त–अंकेक्षण),रापनि,मुख्यालय,जयपुर ।
5. समस्त मुख्य उत्पादन प्रबन्धक,रापनि,केन्द्रीय कार्यशाला,...................।
6. समस्त मुख्य प्रबन्धक,रापनि,.......................आगार ।
7. आदेश पत्रावली।

ह0/–
कार्यकारी निदेशक(प्रशासन)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,जयपुर

क्रमांक/एफ–94/मु0/प्रशा/विके/07/671 दिनांकः–27.6.07

मुख्य प्रबन्धक,
राजस्थान परिवहन निगम
———————————

विषयः– दिनांक 23.5.07 से पूर्व में विभिन्न बस स्टैण्डों पर आवंटित बूथ /स्टाल के सम्बन्ध में ।
प्रसंगः–इस कार्यालय का परिपत्र क्रमांकएफ– 94/मु0/प्रशा/विके / 07/519 दिनांक 23.5.07

विभिन्न आगारों से उक्त परिपत्र के क्रम में मांगे गये स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में निम्न प्रकार स्थिति स्पष्ट की जाती है :–

1 उक्त परिपत्र में यह वर्णित है कि वर्तमान में जो दुकान/स्टाल/बूथ संचालित है उनकी लाईसेंस अवधि समाप्त होने पर उनका नवीनीकरण नहीं किया जाये । आगारीय समिति द्वारा भविष्य में संलग्न दिशा–निर्देशों अनुसार प्रकिया अपनाकर ही दुकान/स्टाल/बूथ के आवंटन की कार्यवाही की जाये ।
उक्त क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि लाईसेंस अवधि से तात्पर्य यह है कि उस स्टालधारी की जब तक अनुबन्ध अवधि अर्थात 5 वर्ष पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक नये दिशा–निर्देश लागू नहीं होगें। अनुबन्ध अवधि 5 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् जब नई निविदायें उक्त स्टाल हेतु आमंत्रित की जायेगी तब उसका आवंटन नये दिशा–निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा ।

2 सभी बस स्टैण्डों पर एसटीडी/पीसीओ बूथ का आवंटन पूर्व के परिपत्र संख्या 202 दिनांक 22.7.97 एंवम् 957 दिनांक 12.2.99 के तहत् किया हुआ है जिसमें इन एसटीडी/पीसीओ की लाईसेंस अवधि का कोई भी निर्धारण नहीं है केवल लाईसेंस प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जायेगा उक्त आवंटित एसटीडी/पीसीओ का लाईसेंस (जब अनुबन्ध की शर्तों का उल्लघंन किया जावे अथवा लाईसेंसी के विरूद्व शिकायत प्राप्त होने पर) निरस्त किये जाने पर ही पुनः आवटन के दौरान नये दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही कीजायेगी पूर्व में आवंटित सभी एसटीडी/पीसीओ बूथ पूर्व की नीति के अनुसार ही संचालित रहेगें ।

3 निगम के विभिन्न बस स्टैण्डों पर एचपीएमसी/पंजाब एग्रो तथा सरस बूथ हेतु स्थान का आवंटन पूर्व की नीति के अनुसार बिना निविदाओं के आवंटित किया हुआ है । इन सभी स्टालों का लाईसेंस प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाता है उक्त सभी स्टाल्स (एचपीएमसी/पंजाब एग्रो/सरस डेयरी) इन संस्थानों द्वारा स्वयं संचालित नहीं कर अन्य व्यक्तियों द्वारा संचालन किया जा रहा है । अतः इनकी लाईसेंस अवधि पूर्ण होने के पश्चात् इनका नवीनीकरण नहीं किया जाये आगारीय समिति अपने स्तर पर यह निर्णय लें कि भविष्य में एचपीएमसी ,पंजाब एग्रो, सरस डेयरी द्वारा जो उत्पाद बेचे जाते हैं उनकी स्टालों की बस स्टैण्ड पर आवश्यकताओं को देखते हुए सुविधा अनुसार खुली निविदाओं के माध्यम से नये दिशा–निर्देशो के अनुसार आवंटन किया जाये ।

4 नये दिशा –निर्देशों के पृष्ठ संख्या 36 के बिन्दु 4 पर यह उल्लेखित है कि लाईसेंसी लाईसेंस शुल्क 12 माह की राशि के बराबर के मूल्य की राष्ट्रीयकृत शिड्यूल बैंक की बैंक गारन्टी निगम के पक्ष में प्रस्तुत करेगा। उक्त क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है यदि लाईसेंसी 12 माह की राशि के बराबर शिड्यूल बैंक की बैंक गारन्टी देने में सक्षम नहीं है तो लाईसेंसी से 20/–रू के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाये ।जो कि निम्नानुसार है

''मेरे (लाईसेंसी) द्वारा लाईसेंस फीस के दिये गये (पोस्ट डेटेड) अग्रिम चैक यदि अनादरित होते है तो उसके लिए मेरे विरूद्व न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए निगम को पूर्ण अधिकार होगा एंव उसके हर्जे–खर्चे के लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा ।''

5 पूर्व परिपत्र क्रमांक 230 दिनांक 19.7.2000 के तहत् मुख्य मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित स्टाल की अधिकतम् लाईसेंस अवधि दस वर्ष निर्धारित है इस योजना में आवंटित स्थान की पुनः निविदायें समय अवधि पूर्ण होने के पश्चात् आमंत्रित की जावे तथा आवंटन परिपत्र क्रमांक 519 दिनांक 23.5.07 के नये दिशा – निर्देश के अनुसार किया जावे ।

6 नये दिशा–निर्देश के पृष्ठ संख्या 32 (अनुबन्ध पत्र) पर क्र.सं. 43 में निम्न जोडा जावे ''लाईसेंसधारी द्वारा निर्धारित अवधि में लाईसेंस फीस निगम कोष में जमा नहीं करवाने पर प्रतिदिन 50/–रू0 अथवा चैक राशि का एक प्रतिशत (जो भी अधिक हो) की दर से शास्ती जमा करानी होगी । फिर भी लाईसेसधारी द्वारा भुगतान नहीं किये जाने पर चैक अनादरण होने की स्थिति में लाईसेंसधारी के विरूद्व नियमानुसार न्यायिक कार्यवाही की जावेगी

7 नये दिशा –निर्देश के पृष्ट 32 (अनुबन्ध पत्र) पर क्रम संख्या 44 में निम्न जोडा जो वित्त मंत्रालय भारत सरकार (राजस्व विभाग) न्यू देहली की अधिसूचना संख्या 24/20007 सेवाकर द्वारा दिनांक 1.6.07 से निगम परिसर में आवंटित दुकान,स्टाल बूथ जो लाईसेंस पद्वति पर आवंटित है पर देय मासिक लाईसेंस फीस पर सेवाकर शिक्षा एंव उच्च शिक्षा अधिभार कुल 12.36 प्रतिशत अतिरिक्त लाईसेंसी द्वारा निगम को भुगतान करना होगा । यह दर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनानुसार होगी ।

8 नये दिशा–निर्देशों में गठित सभी श्रेणी के बस स्टैण्डों की आगारीय कमेटी मे प्रबन्धक (प्रशासन) को भी सदस्य सम्मिलित किया जावे।

9 लाईसेंसी लाईसेंस अवधि समाप्त होने पर निगम परिसर का कब्जा नहीं देने व लाईसेंसी द्वारा न्यायालय में निगमपरिसर खाली नही करने के क्रम में वाद दायर करने पर आप सम्बन्धित न्यायालय में निगम की ओर से निगम अधिवक्ता के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 29.7.02 को दिये गये निर्णय की प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करावें (फोटो प्रति संलग्न)

10 जारी नये दिशा निर्देश के अन्य सभी बिन्दु यथावत रहेगें तथा उसी के अनुरूप कार्यवाही की जावे आगारीय समिति का पूर्ण दायित्व होगा कि वह जारी दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना करे ।

ह0 / –
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक / एफ–94 / मु0 / प्रशा / विके / 07 / 671 दिनांकः–27.6.07

प्रतिलिपीः– निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1 निजी सचिव अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक रारापपनिगम जयपुर
2 वित्तीय सलाहकार रारापपनिगम मु0 जयपुर
3 महा प्रबन्धक (संचालन)रारापपनिगम ––––––––––जोन मु0 जयपुर
4 संयुक्त महा प्रबन्धक(अंकेक्षण) रा रापपनिगम मु0 जयपुर ।
5 मुख्य उत्पादन प्रबन्धक रारापपनिगम केन्द्रीय कार्यशाला जयपुर
6 आदेश पत्रावली ।

ह0 / –
कार्यकारी निदेशक(प्रशासन)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,जयपुर

स्टाल आवंटन दिशा–निर्देश, 2007

1. **आवश्यकताः**

राजस्थान परिवहन निगम की गैर संचालन आय में वृद्धि करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से यह आवश्यक हो गया है कि दुकानों/स्टॉल के आवंटन हेतु समुचित साधन उपलब्ध कराये जावे ताकि यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी कर इस क्षेत्र को आत्म निर्भर बनाया जा सके ।

बस यात्रियों की अपेक्षाएं भी बढ़ रही है । आज यात्रियों की मांग है कि उन्हें उच्च स्तर की खान–पान सेवा मिले, खाद्य पदार्थ में गुणवत्ता हो, उत्पादन में विविधता हो, उच्चस्तर की स्वच्छता हो तथा यात्री प्लेटफार्म पर स्टॉल की भरमार भी न हो ।

यात्रियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें भीड़ रहित स्थल उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान परिवहन निगम प्रतिबद्ध है । माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार आय में वृद्धि को ध्यान में रखकर स्टाल आवंटन की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी हो तथा निविदा में भाग लेने वाली संस्थाओं में भी स्वस्थ प्रतियोगिता हो एवं यात्रियों को कम से कम दर पर विविध प्रकार के प्रमाणित गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो ।

निगम मण्डल की स्वीकृति से वर्तमान नीति वर्ष 1997 एवं 2003 में जारी की गई थी तथा इसमें विभिन्न आदेशों के माध्यम से कई बार संशोधन भी किये गये एवं स्टालधारी की समस्याओं को ध्यान में रखकर उन्हें पुनः बदला गया था । इस प्रकार आगार स्तर पर वर्तमान परिस्थिति में एकरूपता नहीं है । अतः पूर्व में जारी सभी आदेशों को समाप्त कर नये दिशा–निर्देशों का निर्धारण किया जाता है । यदि निगम मण्डल द्वारा भविष्य में इस नीति में कोई सुधार एवं परिवर्तन किया जाता है तो वह सभी वर्तमान स्टालधारी/अनुज्ञाधारी पर बिना किसी पूर्व नोटिस के लागू माना जावेगा ।

2. **दुकान/स्टाल का प्रकार :**

राजस्थान परिवहन निगम के बस स्टैण्ड पर निम्न प्रकार की दुकान/स्टालों को संचालित किया जा सकता है :–

टी स्टॉल, केंटीन, फ्रूट स्टॉल, ज्यूस स्टॉल, बुक स्टॉल, कन्फेशनरी स्टॉल, जनरल स्टोर, खिलौना स्टॉल, स्थानीय प्रसिद्ध वस्तु एवं खाद्य पदार्थ, मेडिकल स्टोर, फास्ट फूड सेंटर, आईसक्रीम पार्लर, ब्यूटी पार्लर, हेयर ड्रेसर,

मोची, एस.टी.डी. बूथ, साईबर कैफे, फ्रेश वेजिटबल स्टोर, मिल्क बूथ, वाटर स्टेशन, कोल्ड ड्रिंक डिस्पेंसर, ए.टी.एम. बूथ, स्नेक बार, फ्लोवर स्टाल, मोबाईल स्टॉल, सी.डी./केसिट सेंटर आदि ।

बस स्टैण्ड परिसर स्थित स्टॉलों में वायु प्रदूषण,ध्वनि प्रदूषण,ट्रेवल एजेंट, धूमपान सामग्री व मादक पेय एवं पदार्थो के उपयोग एवं विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा ।

3. **बस स्टैण्डों का वर्गीकरण :**

राजस्थान परिवहन निगम का प्रयास अपने सभी बस स्टैण्डों पर वर्तमान में स्थित सभी स्टॉल आदि को भीड़ की स्थिति से मुक्त करना है ताकि यात्रियों को उनकी आवश्यकतानुसार सभी खाद्य पदार्थ आदि उपलब्ध हो सके एवं आकर्षक, साफ–सुथरा, प्रदूषण मुक्त यात्री प्लेटफार्म उनकी यात्रा को सुखद बना सके । इसके लिए बस स्टैण्डों का निम्नानुसार वर्गीकरण किया जाता है ।

'ए' श्रेणी के बस स्टैण्ड :

राज्य की राजधानी जयपुर स्थित केन्द्रीय बस स्टेण्ड(CBS)/दिसावर/केन्द्रीय बस स्टेण्ड(CBS),अजमेर/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/कोटा/अलवर ।

- वर्तमान केंटीन के स्तर को आधुनिक फास्ट फूड सेंटर के रूप में विकसित किया जावे । जहां सभी प्रकार के आधुनिक सयंत्र, खाद्य पदार्थ को पकाने, संग्रह करने, गर्म पदार्थ/ ठंडे पदार्थो को सर्व करने हेतु सुविधा उपलब्ध हो ताकि यात्रियों को उच्च स्तर की हाईजैनिक कंडीशन मिल सके ।
- मुख्य यात्री प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार की स्टॉल आवंटित नहीं की जावे । सभी स्टॉल आदि मुख्य भवन तक ही सीमित होंगे ।
- कूकिंग फ्री प्लेटफार्म – यात्री प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार के भोजन पकाने और तलने की अनुमति नहीं दी जावेगी । यात्रियों को केवल प्री–कूक्ड आईटम ही उपलब्ध करवाये जायेंगे तथा उच्च स्तरीय Biodegradeble एवं Ecofriendly container ही उपयोग में लिये जायेंगे । माईक्रोवेव तथा गैस के चूल्हे के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जावेगा । भट्टी, चूल्हे,केरोसिन स्टोव पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा ।
- प्लेटफार्म पर स्टॉलधारी द्वारा घूमकर खाद्य पदार्थ बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा ।
- प्रत्येक स्टॉल के पास डस्ट–बिन स्थापित किये जावेंगे जिनकी सफाई की व्यवस्था स्टॉलधारी द्वारा की जावेगी ।

- डिस्पोजल कप–प्लेट आदि को प्रोत्साहित किया जावेगा ।
- सभी स्टैण्डों पर एकरूपता के(मॉडुलर) स्टॉल ही स्थापित किये जावेंगे ।

<u>'बी' श्रेणी के बस स्टैण्ड :</u>

जिला स्तर के शेष सभी बस स्टैण्ड :–

- वर्तमान केंटीन के स्तर को आधुनिक फास्ट फूड सेंटर के रूप में विकसित किया जावे । जहां सभी प्रकार के आधुनिक सयंत्र, खाद्य पदार्थ को पकाने, संग्रह करने, गर्म पदार्थ/ ठंडे पदार्थो को सर्व करने हेतु सुविधा उपलब्ध हो ताकि यात्रियों को उच्च स्तर की हाईजैनिक कंडीशन मिल सके ।
- मुख्य यात्री प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार की स्टॉल आवंटित नहीं की जावे । सभी स्टॉल आदि मुख्य भवन तक ही सीमित होंगे ।
- कूकिंग फ्री प्लेटफार्म – यात्री प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार के भोजन पकाने और तलने की अनुमति नहीं दी जावेगी । यात्रियों को केवल प्री–कूक्ड आईटम ही उपलब्ध करवाये जायेंगे तथा उच्च स्तरीय Biodegradeble एवं Ecofriendly container ही उपयोग में लिये जायेंगे । माईक्रोवेव तथा गैस के चूल्हे के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जावेगा । भट्टी, चूल्हे,केरोसिन स्टोव पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा ।
- प्लेटफार्म पर स्टॉलधारी द्वारा घूमकर खाद्य पदार्थ बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा ।
- प्रत्येक स्टॉल के पास डस्ट–बिन स्थापित किये जावेंगे जिनकी सफाई की व्यवस्था स्टॉलधारी द्वारा की जावेगी ।
- डिस्पोजल कप–प्लेट आदि को प्रोत्साहित किया जावेगा ।
- सभी स्टैण्डों पर एकरूपता के(मॉडुलर) स्टॉल ही स्थापित किये जावेंगे ।

<u>'सी' श्रेणी के बस स्टैण्ड :</u>

नगर पालिका स्तर के सभी बस स्टैण्ड ।

- वर्तमान केंटीन के स्तर को आधुनिक फास्ट फूड सेंटर के रूप में विकसित किया जावे । जहां सभी प्रकार के आधुनिक सयंत्र, खाद्य पदार्थ को पकाने, संग्रह करने, गर्म पदार्थ/ ठंडे पदार्थो को सर्व करने हेतु सुविधा उपलब्ध हो ताकि यात्रियों को उच्च स्तर की हाईजैनिक कंडीशन मिल सके ।

- मुख्य यात्री प्लेटफार्म पर सभी एकरूपता के (मॉडुलर) स्टॉल ही स्थापित किये जावेगें ।
- कूकिंग फ्री प्लेटफार्म – यात्री प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार के भोजन पकाने और तलने की अनुमति नहीं दी जावेगी । यात्रियों को केवल प्री–कूक्ड आईटम ही उपलब्ध करवाये जायेंगे तथा उच्च स्तरीय Biodegradeble एवं Ecofriendly container ही उपयोग में लिये जायेंगे । माईक्रोवेव तथा गैस के चूल्हे के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जावेगा । भट्टी, चूल्हे,केरोसिन स्टोव पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा ।
- प्लेटफार्म पर स्टॉलधारी द्वारा घूमकर खाद्य पदार्थ बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा ।
- प्रत्येक स्टॉल के पास डस्ट–बिन स्थापित किये जावेंगे जिनकी सफाई की व्यवस्था स्टॉलधारी द्वारा की जावेगी ।
- डिस्पोजल कप–प्लेट आदि को प्रोत्साहित किया जावेगा ।

'डी' श्रेणी के बस स्टैण्ड :

तहसील स्तर के समस्त बस स्टैण्ड ।

- मुख्य यात्री प्लेटफार्म पर सभी एकरूपता के स्टॉल (मॉडुलर) ही स्थापित किये जावेगें ।
- कूकिंग फ्री प्लेटफार्म – यात्री प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार के भोजन पकाने और तलने की अनुमति नहीं दी जावेगी । यात्रियों को केवल प्री–कूक्ड आईटम ही उपलब्ध करवाये जायेंगे तथा उच्च स्तरीय Biodegradeble एवं Ecofriendly container ही उपयोग में लिये जायेंगे । माईक्रोवेव तथा गैस के चूल्हे के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जावेगा । भट्टी, चूल्हे,केरोसिन स्टोव पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा ।
- प्लेटफार्म पर स्टॉलधारी द्वारा घूमकर खाद्य पदार्थ बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा ।
- प्रत्येक स्टॉल के पास डस्ट–बिन स्थापित किये जावेंगे जिनकी सफाई की व्यवस्था स्टॉलधारी द्वारा की जावेगी ।
- डिस्पोजल कप–प्लेट आदि को प्रोत्साहित किया जावेगा ।

4. **यात्री सुविधा का विस्तार :**

राजस्थान परिवहन निगम के सभी बस स्टैण्डों पर मौजूदा स्टॉल को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है ताकि यात्री प्लेटफार्म पर स्टॉल्स की अनावश्यक भीड़भाड़ ना हो तथा यात्रियों को सुविधाजनक स्थान उपलब्ध हो

सके । ऐसे चिन्हित स्थानों पर वर्तमान में स्टॉल आवंटित की हुई है तो उसे वर्तमान लाईसेंस अवधि पूर्ण होने के पश्चात् उपलब्ध स्थान के अलावा आनुपातिक रूप से पुर्ननिर्धारण कर आवंटन किया जावेगा ।

5. **खान–पान की दर :**

राजस्थान परिवहन निगम के सभी बस स्टैण्डों पर चाय, कॉफी एवं पीने के पानी (मिनरल वाटर/वाटर स्टेशन) की दर परिवहन निगम द्वारा निर्धारित दर पर ही विक्रय की जावेगी । अन्य पदार्थो को निर्माता द्वारा निर्धारित अधिकतम अंकित मूल्य (M.R.P.) से अधिक दर पर विक्रय नहीं किया जावेगा ।

6. **अनुज्ञा (लाईसेंस) की अधिकतम सीमा :**

लाईसेंस प्राथमिक तौर पर तीन वर्ष की अवधि के लिए ही जारी किये जावेंगे तथा लाईसेंसधारी को प्रत्येक माह के निर्धारित शुल्क का भुगतान पिछले माह की अंतिम तिथि तक करना होगा । प्रत्येक लाईसेंसधारी की प्रथम वार्षिक अवधि समाप्त होने से कम से कम पन्द्रह दिवस पूर्व आगार स्तरीय समिति द्वारा उस लाईसेंसी के नवीनीकरण पर विचार किया जावेगा तथा आगामी अवधि के लिए उपयोगिता के आधार पर आगारीय समिति गत वर्ष की निर्धारित लाईसेंस फीस में 10 प्रतिशत की चक्रवृत्ति दर पर बढ़ोतरी कर उनसे आगामी 12 माह की लाईसेंस फीस की राशि के पोस्ट डेटेड चैक प्राप्त कर नवीनीकरण कर सकेंगे ।

यदि किसी स्टाल की निविदा में लाईसेंस फीस के प्रस्ताव 50,000/– रूपये अथवा उससे अधिक प्रतिमाह के प्राप्त होते हैं तो उनका नवीनीकरण अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए किया जा सकेगा । जिसकी लाईसेंस फीस में प्रति वर्ष 10 प्रतिशत चक्रवृत्ति दर से वृद्धि की जावेगी ।

उपर्युक्त प्रत्येक तीन व 5 वर्ष (प्रकरण के अनुसार) की अवधि समाप्ति के दो माह पूर्व पुनः खुली निविदाएं आमंत्रित कर नवीन उच्चतम निविदादाता को स्टाल समय पर दिशा–निर्देशानुसार आवंटन की कार्यवाही की जावेगी ।

7. **अनुज्ञा (लाईसेंस) का हस्तान्तरण** :

स्टॉल का लाईसेंस अहस्तान्तरणीय (Non-transferable) होगा एवं लाईसेंसी स्वयं स्टाल का संचालन करेगा । स्टॉल को सब–लेट (Sub-Let) नहीं किया जा सकेगा यदि किसी स्टॉलधारी की लाईसेंस अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है तो लाईसेंसधारी पर आश्रित उसकी पत्नि के नाम हस्तान्तरित

किया जा सकेगा । पत्नी के स्वयं स्टॉल संचालित करने में सक्षम नहीं होने अथवा आश्रित बच्चों के नाबालिग होने की दशा में पत्नी के शपथ–पत्र पर पति/पत्नी के माता–पिता,भाई,बहन या नाबालिंग संतानों के विधिक संरक्षक के नाम लाईसेंस का हस्तान्तरण लाईसेंस की शेष अवधि के लिए किया जा सकेगा । उपरोक्तानुसार सम्बन्धित आगारीय समिति के प्रस्ताव का अनुमोदन उस जोन के महा प्रबन्धक(संचालन) से कराने के पश्चात् ही मृतक लाईसेंसधारी के लाईसेंस का हस्तान्तरण लागू किया जा सकेगा ।

8. **अनुज्ञा (लाईसेंस) की शर्ते :**

लाईसेंस पूर्णतः अस्थाई आधार पर दिये जायेंगे । लाईसेंसधारक को बिजली एवं पानी का कनेक्शन अपने स्तर पर लेना होगा तथा सम्बन्धित विभाग को उनके शुल्क के भुगतान भी अपने स्वयं के स्तर पर करना होगा । लाईसेंसधारी वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण,गदंगी एवं कचरा फैलाने, लाईसेंस की निर्धारित शर्तो के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के विक्रय,मादक पेय एवं पदार्थो के विक्रय, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एवं सड़े गले खाद्य पदार्थो के विक्रय,अश्लील साहित्य एवं पत्रिकाओं के विक्रय, स्टॉल में किसी भी प्रकार के नवीन निर्माण,संशोधन,परिवर्तन करने, निर्धारित क्षैत्रफल से अधिक क्षैत्र के उपयोग व आवागमन में अवरोध उत्पन्न करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा । इन सभी शर्तो का उल्लेख अनुज्ञा–पत्र एवं अनुबन्ध–पत्र में किया जावेगा जिसका प्रारूप परिशिष्ट 3 एवं 4 पर उपलब्ध है ।

9. **सरकारी कर्मचारी हेतु आवंटन प्रकिया :**

केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारी, केन्द्र/राज्य सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों एवं राजस्थान परिवहन निगम के कर्मचारी व उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को राजस्थान परिवहन निगम के किसी भी बस स्टैण्ड पर स्टॉल का आवंटन नहीं किया जा सकेगा ।

10. **एकल पंच की नियुक्ति** :

अनुबन्ध के कियान्वयन शर्तो एवं अनुबन्ध के निर्विचन के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए परिवहन निगम के अध्यक्ष एकमात्र पंच निर्णायक होंगे । जिनका निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा । कोई भी पक्ष मामले/विवाद को पंच निर्णय के लिए प्रस्तुत किये बिना एवं उस पर निर्णय/पंचाट पारित हुए बिना कोई वाद किसी भी न्यायालय में नहीं ले जा सकेंगे । उक्त दोनों पक्ष यह जानते हैं कि अध्यक्ष निगम के अधिकारी है एवं उनको ही एकल पंच निर्णायक के लिए सहमति व्यक्त करते हैं । पंच निर्णायक/न्यायालय का कार्य क्षैत्र/कार्य स्थल जयपुर होगा ।

11. <u>अनुज्ञा (लाईसेंस) का निरस्तीकरण</u> :

लाईसेंसधारक द्वारा निर्धारित शर्तो का उल्लंघन करने, निर्धारित शुल्क का समय पर भुगतान ना करने अथवा बस स्टैण्ड का विस्तार/जनसुविधाओं के निर्माण या किसी अन्य कार्य के लिए निगम को स्थान की आवश्यकता होने पर लाईसेंसधारी को एक माह का नोटिस देकर स्टॉल को खाली करने की अपेक्षा करते हुए आगार स्तरीय समिति की अभिशंषा पर जोन के महा प्रबन्धक (संचालन) किसी भी लाईसेंस का निरस्तीकरण कर सकेंगे तथा विद्युत एवं जलदाय विभाग के कनेक्शन कटाने की कार्यवाही की जा सकेगी । यदि लाईसेंस की शर्तो के उल्लंघन पर आगार स्तरीय समिति अधिकतम एक माह के लिए लाईसेंसधारी का लाईसेंस भी निलम्बित कर सकेगी । निलम्बन की अवधि में व्यवसाय पर रोक भी लगा सकेगी ।

निम्नलिखित परिस्थितियों में लाईसेंसी को केवलमात्र 48 घण्टें का लिखित नोटिस दिया जाकर निगम के द्वारा लाईसेंस निरस्त किया जा सकता है :–

- यदि लाईसेंसधारी को दिवालिया घोषित कर दिया गया है ।
- यदि लाईसेंसधारी एक माह की अवधि की लाईसेंस फीस जमा कराने में असमर्थ रहा हो ।
- यदि लाईसेंसधारी लाईसेंस की किसी शर्त की पालना करने में असमर्थ रहता है ।
- यदि लाईसेंसधारी ने लाईसेंस प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत निविदा में कोई अधूरी,गलत या भ्रमित जानकारी अंकित की हो ।

लाईसेंस के निरस्त करने की स्थिति में लाईसेंसधारी निगम परिसर को तुरन्त खाली कर उसका कब्जा निगम के सक्षम अधिकारी को देगा लाईसेंसधारी परिसर में 24 घण्टे के अन्दर समस्त सामान स्टाल से हटा लेगा ऐसा नहीं किये जाने पर निगम का सक्षम अधिकारी परिसर में प्रवेश कर स्टाल का कब्जा ले लेगा और स्टाल के ताला लगा देगा । लाईसेंसधारी का फर्नीचर व अन्य समस्त सामान सक्षम अधिकारी स्टाल से हटाकर अपने कब्जे में लेगा व उसको बिक्री अथवा अन्य प्रकार के डिस्पोज करने का अधिकार होगा और निगम से ऐसी सूरत में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का अधिकारी नहीं होगा । इस सम्बन्ध में किया गया खर्चा सामान की बिक्री मूल्य या अमानत राशि में से वसूली करने का अधिकार निगम को होगा ।

यदि लाईसेंसधारी स्वयं अपना लाईसेंस चालू नहीं रखना चाहे तो उसे कम से कम से तीन माह पूर्व इसकी सूचना आगार प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी । तीन माह का नोटिस दिये बिना व्यवसाय बंद करने पर उसकी पूर्व में जमा सुरक्षा राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी ।

12. **<u>अनुज्ञा का अनुबन्ध</u>** :

लाईसेंसधारी के लिए अनुबन्ध में ऐसा प्रावधान होगा कि वह परिवहन निगम के विरूद्ध सभी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए स्वयं ही उत्तरदायी होगा । परिवहन निगम किसी भी मामले में पक्षकार नहीं होगा । अनुबन्ध का प्रारूप परिशिष्ट–4 पर है ।

13. **<u>वर्तमान स्टॉलधारक हेतु नये दिशा–निर्देशों का संचालन :</u>**

परिवहन निगम द्वारा जारी दिशा–निर्देश सभी नये लाईसेंसी पर जारी होने की दिनांक से प्रभावी होगी । वर्तमान लाईसेंसी की अनुबन्ध अवधि पूर्ण होने पर उक्त दिशा–निर्देश के अनुसरण में ही अनुबन्ध किया जावेगा ।

14. **<u>सीजनल स्टालः</u>**

सीजनल स्टाल का आवंटन केवल बी,सी, व डी श्रेणी के बस स्टैण्ड पर ही किया जावेगा । सीजनल स्टाल आवंटन हेतु निम्न प्रकिया रहेगी :–

1. सीजनल स्टाल की नियमानुसार खुली निविदाएं स्थानीय समाचार–पत्र /नोटिस बोर्ड में प्रकाशन/चस्पा करवाकर आगारीय समिति द्वारा उच्चतम निविदादाता को आंवटित की जावेगी ।

2. सीजनल स्टाल हेतु स्थान मुख्य प्लेटफार्म से अलग होगा ।

3. नल–बिजली व्यय अलग से वसूल किया जावेगा ।

4. सीजनल लाईसेंस पूर्णतः अस्थाई आधार पर जारी किये जावेंगे व पूर्ण समयावधि की लाईसेंस फीस एक मुश्त अग्रिम निगम कोष में जमा करवानी होगी ।

5. समयावधि समाप्त होने के पश्चात लाईसेंस स्वतः ही निरस्त हो जावेगा ।

6. सीजनल लाईसेंस निम्न आईटम विक्रय हेतु जारी किया जा सकेगा :–

क.सं.	सीजनल वस्तुओं का नाम	आवंटन अवधि	धरोहर राशि
1.	मूंगफली, गजक,रेवड़ी एवं अन्य मौसमी पदार्थ	**1 नवम्बर से 31 मार्च**	5,000/–
2.	वाटर ट्रोली,कुल्फी,गन्ना रस,ज्यूस, आईसक्रीम व अन्य मौसमी पदार्थ	**1 अप्रेल से 31 अक्टूबर**	5,000/–

7. लाईसेंस अहस्तान्तरित होगा ।

8. निगम द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/शर्तो की पूर्ण पालना की जानी होगी । जिनके उल्लंघन करने पर 48 घण्टे का नोटिस जारी कर आगारीय समिति लाईसेंस निरस्त कर सकेगी।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,जयपुर

स्टाल आवंटन दिशा–निर्देश, 2007

द्वितीय–भाग

1. **आवंटन की प्रक्रिया** :

राजस्थान परिवहन निगम के 'ए' श्रेणी के बस स्टैण्ड पर स्टॉल के आवंटन का कार्य निम्न अंकित समिति द्वारा किया जावेगा । जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

1.	महा प्रबन्धक (संचालन)	अध्यक्ष
2.	मुख्य प्रबन्धक	सदस्य
3.	प्रबन्धक (यातायात)	सदस्य
4.	प्रबन्धक (संचालन)	सदस्य
5.	प्रबन्धक(वित्त)	सदस्य सचिव

राजस्थान परिवहन निगम के बी,सी व डी श्रेणी के बस स्टैण्ड पर स्टाल के आवंटन का कार्य निम्न अंकित समिति द्वारा किया जावेगा । आगारीय समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

1.	मुख्य प्रबन्धक	अध्यक्ष
2.	प्रबन्धक (यातायात)	सदस्य
3.	प्रबन्धक (संचालन)	सदस्य
4.	प्रबन्धक(वित्त)	सदस्य सचिव

नोटः– जिन केन्द्रीय बस स्टैण्डों पर अलग से मुख्य प्रबन्धक है वहां पर वे आगार स्तरीय समिति के अध्यक्ष होंगे । यदि केन्द्रीय बस स्टैण्डों पर प्रबन्धक (यातायात) एवं प्रबन्धक (वित्त) अलग से नियुक्त नहीं है तो वहां के आगार के प्रबन्धक (यातायात) एवं प्रबन्धक (वित्त) सदस्य/सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे ।

आगार के अधीनस्थ बस स्टैण्डों पर आवश्यक स्टॉल/बूथ के स्थान एवं उनकी संख्या का निर्धारण आगारीय समिति द्वारा किया जावेगा। लाईसेंस धारकों से लाईसेंस की सभी शर्तो की पूर्ति करवाना, लाईसेंस के नवीनीकरण/निरस्तीकरण समय पर शुल्क की वसूली करना, न्यायिक प्रकरणों में प्रभावी पैरवी करना एवं नियमानुसार स्टाल खाली करवाना व अन्य आवश्यक कार्यवाही कराने का पूर्ण दायित्व आगार स्तरीय समिति का होगा तथा उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर आगार स्तरीय समिति के

सदस्यों को सामूहिक रूप से एवं पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा ।

स्टॉल का आवंटन आगार स्तरीय समिति द्वारा खुली निविदा के माध्यम से किया जावेगा । समाचार–पत्र में प्रकाशन हेतु निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र का प्रारूप परिशिष्ट 1 एवं 2 पर हैं ।

2. **निविदा प्रकिया** :

'ए' श्रेणी के बस स्टैण्डों के लिए :

- उक्त बस स्टैण्डों पर स्टॉल/बूथ आवंटन हेतु राज्य स्तरीय समाचार–पत्रों में निविदा आमंत्रित की जावेगी तथा प्राप्त प्रस्तावों को आगार स्तरीय समिति के समक्ष खोला जावेगा।
- निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 200/– (अक्षरे रूपये दो सौ मात्र) लिया जावेगा ।
- निविदा के साथ धरोहर राशि (Earnest money) के रूप में स्टाल से प्राप्त होने वाली मासिक लाईसेंस फीस को मध्य नजर रखते हुए रूपये 10,000/–,20,000/– एवं 50,000/– (अक्षरे रूपये दस हजार, बीस हजार एवं पचास हजार मात्र) जमा कराने होंगे । धरोहर राशि का निर्धारण आगारीय समिति द्वारा किया जावेगा । अस्वीकृत निविदाओं की धरोहर राशि निविदाओं पर अंतिम निर्णय होने के उपरान्त बिना ब्याज के लौटायी जायेगी ।
- अनुज्ञा (लाईसेंस) जारी करने से पूर्व मासिक लाईसेंस शुल्क की तीन गुणा राशि सुरक्षा राशि के रूप में अनुज्ञाधारी को नकद निगम कोष में जमा करानी होगी यह राशि निगम कोष में अनुबन्ध समाप्ति तक जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । अनुबन्ध समाप्ति पर उक्त सुरक्षा राशि बिना ब्याज के लौटायी जायेगी ।
- अनुज्ञाधारी (लाईसेंसी) को निगम के साथ अनुबन्ध पत्र नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर राशि 100/– रूपये पर निष्पादित करना होगा ।
- लाईसेंसी द्वारा लाईसेंस जारी किये जाने के तीस दिवस के भीतर व्यवसाय प्रारम्भ नहीं करने पर आगार स्तरीय समिति द्वारा उसका लाईसेंस रद्द कर उपयोगिता के आधार पर द्वितीय अधिकतम निविदा प्रस्तावक को अथवा पुनः निविदाओं के आधार पर लाईसेंस का आवंटन किया जा सकेगा ।

<u>पात्रता का निर्धारण</u> :

आगारीय स्तरीय समिति द्वारा स्टाल आवंटन के समय आवेदकों की पात्रता का परीक्षण किया जावेगा :–

- निगम के विरूद्ध आवेदक का किसी भी न्यायालय में विवाद/प्रकरण विचाराधीन नहीं होना चाहिए तथा पूर्व में भी प्रार्थी के साथ कोई विवाद नहीं होना चाहिए ।
- आवेदक के विरूद्ध निगम का किसी भी प्रकार का बकाया नहीं होना चाहिए ।

<u>वित्तीय प्रस्ताव</u> :

निविदाओं में सुपात्र आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अधिकतम दरों के आधार पर लाईसेंसी का निर्धारण किया जावेगा । किसी भी परिस्थिति में यात्री सुविधा/स्टालधारी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सामान की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जावेगा ।

निविदा में यदि पूर्व में प्राप्त हो रही दर से 20 प्रतिशत कम राशि के प्रस्ताव प्राप्तहोने पर आगारीय समिति अपनी अभिशंषा सहित प्रकरण को अनुमोदन हेतु मुख्यालय प्रेषित करेगी ।

<u>अनुज्ञा (लाईसेंस) शुल्क के भुगतान की विधि</u> :

लाईसेंसधारी द्वारा निगम कोष में लाईसेंस फीस के भुगतान करने की विधि निम्नानुसार है :–

- स्टॉल आवंटन होने के पश्चात् लाईसेंसधारी द्वारा स्टाल/बूथ का कब्जा लेने से पूर्व प्रत्येक माह के लिए निर्धारित लाईसेंस फीस की राशि के 12 पोस्ट डेटेड चैक आगार कार्यालय में जमा करवाने होंगे ।
- लाईसेंस फीस के चैक अनादरण (dishonour) होने की स्थिति में निगम के खाते में बैंक द्वारा चार्ज की गई राशि की वसूली लाईसेंसधारी से की जावेगी ।
- लाईसेंसधारी द्वारा निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर प्रतिदिन 50/– रूपये अथवा चैक राशि का एक प्रतिशत (जो भी अधिक हो) की दर से शास्ति जमा करानी होगी । फिर भी लाईसेंसधारी द्वारा भुगतान नहीं किये जाने पर चैक डिस्आनर होने की स्थिति में लाईसेंसधारी के विरूद्ध नियमानुसार न्यायिक कार्यवाही भी की जावेगी ।

'बी' श्रेणी के बस स्टैण्डों के लिए :

- उक्त बस स्टैण्डों पर स्टॉल/बूथ आवंटन हेतु जिला स्तरीय समाचार–पत्रों में निविदा आमंत्रित की जावेगी तथा प्राप्त प्रस्तावों को आगार स्तरीय समिति के समक्ष खोला जावेगा।
- निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 200/– (अक्षरे रूपये दो सौ मात्र) लिया जावेगा ।
- निविदा के साथ धरोहर राशि (Earnest money) के रूप में मासिक लाईसेंस फीस को मध्य नजर रखते हुए रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) रूपये व 15,000/– (अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र) जमा कराने होंगे । धरोहर राशि का निर्धारण आगारीय समिति द्वारा किया जावेगा । अस्वीकृत निविदाओं की धरोहर राशि निविदाओं पर अंतिम निर्णय होने के उपरान्त बिना ब्याज के लौटायी जायेगी ।
- अनुज्ञा (लाईसेंस) जारी करने से पूर्व मासिक लाईसेंस शुल्क की तीन गुणा राशि सुरक्षा राशि के रूप में अनुज्ञाधारी को नकद निगम कोष में जमा करानी होगी यह राशि निगम कोष में अनुबन्ध समाप्ति तक जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । अनुबन्ध समाप्ति पर उक्त सुरक्षा राशि बिना ब्याज के लौटायी जायेगी ।

- अनुज्ञाधारी (लाईसेंसी) को निगम के साथ अनुबन्ध पत्र नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर राशि 100/– रूपये पर निष्पादित करना होगा ।
- लाईसेंसी द्वारा लाईसेंस जारी किये जाने के तीस दिवस के भीतर व्यवसाय प्रारम्भ नहीं करने पर आगार स्तरीय समिति द्वारा उसका लाईसेंस रद्द कर उपयोगिता के आधार पर द्वितीय अधिकतम निविदा प्रस्तावक को अथवा पुनः निविदाओं के आधार पर लाईसेंस का आवंटन किया जा सकेगा ।

पात्रता का निर्धारण :

आगारीय स्तरीय समिति द्वारा स्टाल आवंटन के समय आवेदकों की पात्रता का परीक्षण किया जावेगा :–

- निगम के विरूद्ध आवेदक का किसी भी न्यायालय में विवाद/प्रकरण विचाराधीन नहीं होना चाहिए तथा पूर्व में भी प्रार्थी के साथ कोई विवाद नहीं होना चाहिए । आवेदक के विरूद्ध निगम का किसी भी प्रकार का बकाया नहीं होना चाहिए ।

<u>वित्तीय प्रस्ताव</u> :

निविदाओं में सुपात्र आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अधिकतम दरों के आधार पर लाईसेंसी का निर्धारण किया जावेगा । किसी भी परिस्थिति में यात्री सुविधा/स्टालधारी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सामान की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जावेगा ।

निविदा में यदि पूर्व में प्राप्त हो रही दर से 20 प्रतिशत कम राशि के प्रस्ताव प्राप्तहोने पर आगारीय समिति अपनी अभिशंषा सहित प्रकरण को अनुमोदन हेतु मुख्यालय प्रेषित करेगी ।

<u>अनुज्ञा (लाईसेंस) शुल्क के भुगतान की विधि</u> :

लाईसेंसधारी द्वारा निगम कोष में लाईसेंस फीस के भुगतान करने की विधि निम्नानुसार है :–

- स्टॉल आवंटन होने के पश्चात् लाईसेंसधारी द्वारा स्टाल/बूथ का कब्जा लेने से पूर्व प्रत्येक माह के लिए निर्धारित लाईसेंस फीस की राशि के 12 पोस्ट डेटेड चैक आगार कार्यालय में जमा करवाने होंगे ।
- लाईसेंस फीस के चैक अनादरण (dishonour) होने की स्थिति में निगम के खाते में बैंक द्वारा चार्ज की गई राशि की वसूली लाईसेंसधारी से की जावेगी ।
- लाईसेंसधारी द्वारा निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर प्रतिदिन 50/– रूपये अथवा चैक राशि का एक प्रतिशत (जो भी अधिक हो) की दर से शास्ति जमा करानी होगी । फिर भी लाईसेंसधारी द्वारा भुगतान नहीं किये जाने पर चैक डिस्आनर होने की स्थिति में लाईसेंसधारी के विरूद्ध नियमानुसार न्यायिक कार्यवाही भी की जावेगी ।

<u>'सी' श्रेणी के बस स्टैण्डों के लिए :</u>

- उक्त बस स्टैण्डों पर स्टॉल/बूथ आवंटन हेतु स्थानीय समाचार–पत्रों में निविदा आमंत्रित की जावेगी तथा प्राप्त प्रस्तावों को आगार स्तरीय समिति के समक्ष खोला जावेगा।
- निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 150/– (अक्षरे रूपये एक सौ पचास मात्र) लिया जावेगा ।
- निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में रूपये 10,000/– (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) जमा कराने होंगे । तथा अस्वीकृत निविदाओं की धरोहर राशि निविदाओं पर अंतिम निर्णय होने के उपरान्त ही बिना ब्याज के लौटायी जायेगी ।

- अनुज्ञाधारी (लाईसेंसी) को निगम के साथ अनुबन्ध पत्र नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर राशि 100/– रूपये पर निष्पादित करना होगा ।
- लाईसेंसी द्वारा लाईसेंस जारी किये जाने के तीस दिवस के भीतर व्यवसाय प्रारम्भ नहीं करने पर आगार स्तरीय समिति द्वारा उसका लाईसेंस रद्द कर उपयोगिता के आधार पर द्वितीय अधिकतम निविदा प्रस्तावक को अथवा पुनः निविदाओं के आधार पर लाईसेंस का आवंटन किया जा सकेगा ।

<u>पात्रता का निर्धारण</u> :

आगारीय स्तरीय समिति द्वारा स्टाल आवंटन के समय आवेदकों की पात्रता का परीक्षण किया जावेगा :–

- निगम के विरूद्ध आवेदक का किसी भी न्यायालय में विवाद/प्रकरण विचाराधीन नहीं होना चाहिए तथा पूर्व में भी प्रार्थी के साथ कोई विवाद नहीं होना चाहिए । आवेदक के विरूद्ध निगम का किसी भी प्रकार का बकाया नहीं होना चाहिए ।

<u>वित्तीय प्रस्ताव</u> :

निविदाओं में सुपात्र आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अधिकतम दरों के आधार पर लाईसेंसी का निर्धारण किया जावेगा । किसी भी परिस्थिति में यात्री सुविधा/स्टालधारी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सामान की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जावेगा ।

निविदा में यदि पूर्व में प्राप्त हो रही दर से 20 प्रतिशत कम राशि के प्रस्ताव प्राप्तहोने पर आगारीय समिति अपनी अभिशंषा सहित प्रकरण को अनुमोदन हेतु मुख्यालय प्रेषित करेगी ।

<u>अनुज्ञा (लाईसेंस) शुल्क के भुगतान की विधि</u> :

लाईसेंसधारी द्वारा निगम कोष में लाईसेंस फीस के भुगतान करने की विधि निम्नानुसार है :–

- स्टॉल आवंटन होने के पश्चात् लाईसेंसधारी द्वारा स्टाल/बूथ का कब्जा लेने से पूर्व प्रत्येक माह के लिए निर्धारित लाईसेंस फीस की राशि के 12 पोस्ट डेटेड चैक आगार कार्यालय में जमा करवाने होंगे ।

- लाईसेंस फीस के चैक अनादरण (dishonour) होने की स्थिति में निगम के खाते में बैंक द्वारा चार्ज की गई राशि की वसूली लाईसेंसधारी से की जावेगी ।
- लाईसेंसधारी द्वारा निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर प्रतिदिन 50/– रूपये अथवा चैक राशि का एक प्रतिशत (जो भी अधिक हो) की दर से शास्ति जमा करानी होगी । फिर भी लाईसेंसधारी द्वारा भुगतान नहीं किये जाने पर चैक डिस्आनर होने की स्थिति में लाईसेंसधारी के विरूद्ध नियमानुसार न्यायिक कार्यवाही भी की जावेगी ।

<u>स्टाल आवंटन में आरक्षण :</u>

राजस्थान परिवहन निगम के 'सी' श्रेणी के बस स्टैण्डों पर स्टॉल/बूथ के लिए निम्नानुसार आरक्षण देय होगा :–

- आवश्यकता एवं स्थान की उपलब्धता के आधार पर आगार स्तरीय समिति की अभिशंषा पर निविदा के माध्यम से एस.टी.डी./पी.सी.ओ. बूथ के आवेदन केवल विकलांग एवं विधवाओं को ही आवंटित किये जावेंगे । अधिकतम दर देने वाले प्रस्तावक को बूथ आवंटित किया जा सकेगा । निगम द्वारा स्वीकृत डिजाईन के अनुरूप 4X4 फीट का अस्थाई बूथ लाईसेंसधारी को (एक्रेलिकशीट आदि का) स्वयं के खर्चे पर बनवाना होगा, जो मुख्य प्लेटफार्म पर नहीं होगा ।
- निम्न संवर्ग के तहत आगार के बस स्टैण्ड पर अधिकतम दो कियोस्क खुली निविदा के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त कर अधिकतम दर देने वाले प्रस्तावक को आवंटित किये जा सकेंगे :–

  - ❖ मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत बेरोजगार प्रत्याशी
  - ❖ युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं
  - ❖ बी.पी.एल. सर्वे में चयनित व्यक्ति
  - ❖ अनुसूचित जाति,अनुसूचित जन जाति,अन्य पिछड़ी जाति वर्ग के व्यक्ति।

'डी' श्रेणी के बस स्टैण्डों के लिए :

- उक्त बस स्टैण्डों पर स्टॉल/बूथ आवंटन हेतु स्थानीय समाचार–पत्रों में निविदा आमंत्रित की जावेगी तथा प्राप्त प्रस्तावों को आगार स्तरीय समिति के समक्ष खोला जावेगा।
- निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 100/– (अक्षरे रूपये एक सौ मात्र) लिया जावेगा ।
- निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में रूपये 5,000/– (अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र) जमा कराने होंगे । तथा अस्वीकृत निविदाओं की धरोहर राशि निविदाओं पर अंतिम निर्णय होने के उपरान्त ही बिना ब्याज के लौटायी जायेगी ।
- अनुज्ञा (लाईसेंस) जारी करने से पूर्व मासिक लाईसेंस शुल्क की तीन गुणा राशि सुरक्षा राशि के रूप में अनुज्ञाधारी को नकद निगम कोष में जमा करानी होगी यह राशि निगम कोष में अनुबन्ध समाप्ति तक जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । अनुबन्ध समाप्ति पर उक्त सुरक्षा राशि बिना ब्याज के लौटायी जायेगी ।
- अनुज्ञाधारी (लाईसेंसी) को निगम के साथ अनुबन्ध पत्र नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर राशि 100/– रूपये पर निष्पादित करना होगा ।
- लाईसेंसी द्वारा लाईसेंस जारी किये जाने के तीस दिवस के भीतर व्यवसाय प्रारम्भ नहीं करने पर आगार स्तरीय समिति द्वारा उसका लाईसेंस रद्द कर उपयोगिता के आधार पर द्वितीय अधिकतम निविदा प्रस्तावक को अथवा पुनः निविदाओं के आधार पर लाईसेंस का आवंटन किया जा सकेगा ।

पात्रता का निर्धारण :

आगारीय स्तरीय समिति द्वारा स्टाल आवंटन के समय आवेदकों की पात्रता का परीक्षण किया जावेगा :–

- निगम के विरूद्ध आवेदक का किसी भी न्यायालय में विवाद/प्रकरण विचाराधीन नहीं होना चाहिए तथा पूर्व में भी प्रार्थी के साथ कोई विवाद नहीं होना चाहिए ।
- आवेदक के विरूद्ध निगम का किसी भी प्रकार का बकाया नहीं होना चाहिए ।

<u>वित्तीय प्रस्ताव</u> :

निविदाओं में सुपात्र आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अधिकतम दरों के आधार पर लाईसेंसी का निर्धारण किया जावेगा । किसी भी परिस्थिति में यात्री सुविधा/स्टालधारी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सामान की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जावेगा ।

निविदा में यदि पूर्व में प्राप्त हो रही दर से 20 प्रतिशत कम राशि के प्रस्ताव प्राप्तहोने पर आगारीय समिति अपनी अभिशंषा सहित प्रकरण को अनुमोदन हेतु मुख्यालय प्रेषित करेगी ।

<u>अनुज्ञा (लाईसेंस) शुल्क के भुगतान की विधि</u> :

लाईसेंसधारी द्वारा निगम कोष में लाईसेंस फीस के भुगतान करने की विधि निम्नानुसार है :–

- स्टॉल आवंटन होने के पश्चात् लाईसेंसधारी द्वारा स्टाल/बूथ का कब्जा लेने से पूर्व प्रत्येक माह के लिए निर्धारित लाईसेंस फीस की राशि के 12 पोस्ट डेटेड चैक आगार कार्यालय में जमा करवाने होंगे ।
- लाईसेंस फीस के चैक अनादरण (dishonour) होने की स्थिति में निगम के खाते में बैंक द्वारा चार्ज की गई राशि की वसूली लाईसेंसधारी से की जावेगी ।
- लाईसेंसधारी द्वारा निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर प्रतिदिन 50/– रूपये अथवा चैक राशि का एक प्रतिशत (जो भी अधिक हो) की दर से शास्ति जमा करानी होगी । फिर भी लाईसेंसधारी द्वारा भुगतान नहीं किये जाने पर चैक डिस्आनर होने की स्थिति में लाईसेंसधारी के विरूद्ध नियमानुसार न्यायिक कार्यवाही भी की जावेगी ।

<u>स्टाल आवंटन में आरक्षण :</u>

राजस्थान परिवहन निगम के 'डी' श्रेणी के बस स्टैण्डों पर स्टॉल/बूथ के लिए निम्नानुसार आरक्षण देय होगा :–

- आवश्यकता एवं स्थान की उपलब्धता के आधार पर आगार स्तरीय समिति की अभिशंषा पर निविदा के माध्यम से एस.टी.डी./पी.सी.ओ. बूथ आवेदन केवल विकलांग एवं विधवाओं को ही आवंटित किये जावेंगे । अधिकतम दर देने वाले प्रस्तावक को बूथ आवंटित किया जा सकेगा । निगम द्वारा स्वीकृत डिजाईन के अनुरूप 4X4 फीट का अस्थाई बूथ

लाईसेंसधारी को (एक्रेलिकशीट आदि का) स्वयं के खर्चे पर बनवाना होगा जो मुख्य प्लेटफार्म पर नहीं होगा ।

- निम्न संवर्ग के तहत आगार के बस स्टैण्ड पर अधिकतम दो कियोस्क खुली निविदा के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त कर अधिकतम दर देने वाले प्रस्तावक को आवंटित किये जा सकेंगे :–

  - ❖ मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत बेरोजगार प्रत्याशी
  - ❖ युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं
  - ❖ बी.पी.एल. सर्वे में चयनित व्यक्ति
  - ❖ अनुसूचित जाति,अनुसूचित जन जाति,अन्य पिछड़ी जाति वर्ग के व्यक्ति।

<u>स्टाल खाली करवाने की कार्यवाही कराने हेतु</u>:

यदि कोई लाईसेंसी दुकान/स्टाल/बूथ लाईसेंस अवधि के बाद खाली नहीं करता है तो आगारीय समिति परिपत्र संख्या प0/एल–131/मु./2/संपत्ति/ 01 /498 दिनांक 6.7.2001एवं राज्य सरकार के परिपत्र संख्या प0 5/सा0प्र0/2/75 दिनांक 23.4.2001 के अनुसार लाईसेंसी से स्थान खाली करवाने की तुरन्त कार्यवाही करेगी (परिशिष्ट –आठ)।